

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

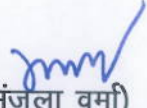
क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III/217

दिनांक :- 15-02-2018

कार्यालय आदेश

श्रीमती योगिता राजपुरोहित, (मेरिट सं. 1883/2013) कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय तहसील कार्यालय लूणी को विभागीय आदेश संख्या 321/2017-18 दिनांक 01.02.2018 के अनुसार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जोधपुर में दिनांक 05.02.2018 से 28.03.2018 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 05.02.2018 को प्रातः 9.30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया गया था।

जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा श्रीमती राजपुरोहित को अत्यावश्यक राजकीय कार्यवश उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से उन्हें मुक्त रखने व आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अनुरोध किया गया है। अतः श्रीमती योगिता राजपुरोहित को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त रखने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे आगे आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक रूप से सम्मिलित होना सुनिश्चित करें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III/217

दिनांक :- 15-02-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जोधपुर।
4. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
5. तहसीलदार, तहसील कार्यालय, लूणी।
6. श्रीमती योगिता राजपुरोहित कनिष्ठ लेखाकार, तहसील कार्यालय लूणी।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)